

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

उपजिलाधिकारी, आलापुर  
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक-मु0चि0अ0 / तं0नि0प्र0 / गो0सा0मेला / 2017-18 / 11868 दिनांक-06.12.2017

विषय- कोटपा-2003 के अन्तर्गत श्री गोविन्द साहब मेला मे अधिनियम के अनुपालन व  
जन-जागरुकता के विषय में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक गतिविधि हेतु तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ अम्बेडकरनगर द्वारा मेला परिसर मे जन-जागरुकता हेतु बैनर, चेतावनी बोर्ड एवं पैम्पलेट इत्यादि के माध्यम से जन सामान्य को जागरुक किया जाना है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के उल्लंघन करने वाले को नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की भी अपेक्षा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि सम्बन्धित को उक्त कार्य किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
अम्बेडकरनगर।  
तददिनांकित

पत्रांक-मु0चि0अ0 / तं0नि0प्र0 / गो0सा0मेला / 2017-18 /

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष एण्टी टोबैको सेल / जिलाधिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, अम्बेडकरनगर।
3. मेला प्रभारी, श्री गोविन्द साहब मेला, अम्बेडकरनगर।
4. क्षेत्राधिकारी, आलापुर, अम्बेडकरनगर।
5. अध्यक्ष, श्री गोविन्द साहब मेला समिति, अम्बेडकरनगर।
6. जिला सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, अम्बेडकरनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह समस्त संबन्धित के साथ समन्वय कर उक्त कार्य सम्पन्न कराये।

अध्यक्ष मेला समिति / मेला प्रभारी  
को डा. को. को.

U.D.M. Alapur  
8/12/17

मुख्य चिकित्साधिकारी  
अम्बेडकरनगर